RAMGARH NAGAR PARISHAD

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ति कर की सूचना।

Memo No : 871053090223023725

Date : 09-02-2023

प्रमाणी : प्रथम तिमाही 2022-2023

श्री/श्रीमती/सुश्री Somra munda S/O BUDHAN MUNDA,
मौजा SEWTA, ADARSH COLONY,DAM SIDE, RAMGARH RAMGARH
RAMGARH - 829117
9304172276

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका उक्त गृह सं - 008000010500OM0 वार्ड सं 8 हुआ है, आपके स्व. निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु. निर्धारित किया गया है ।
उसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना

क्रम सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1	गृह कर	253.00
2	जल कर	0.00
3	शौचालय कर	0.00
4	बिजली कर	0.00
5	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नही होने के कारण)	0.00
	कुल राशि (प्रति तिमाही)	253.00

सोमरा मुण्डा

To be signed by the Applicant

सोमरा मुण्डा

नोट:-

1. कर निर्धारण की सूची, RAMGARH NAGAR PARISHAD Website: suda.jharkhand.gov.in पर प्रदर्शित है।
2. नियमावली कंडिका 11.4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नही होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा। हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पायें।
3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा
4. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण प्रति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
5. किसी देय प्रति को निर्दिष्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नही चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
6. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण -सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली कंडीका 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
7. RAMGARH NAGAR PARISHAD द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ति कर इन इमारतों/ढांचो को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों / दखलकार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
8. अगर आपके नये होल्डिंग नम्बर का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt.This receipt does not require physical signature.